

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 151 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 31 / 03 / 2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. भीम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह तोमर उम्र 42 वर्ष

निवासी :- ग्राम छीमका, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 02 / 05 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त भीम सिंह पर भा.द.सं. की धारा 504 एवं 325 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 31 / 01 / 2015 की रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने स्थित ग्राम छीमका में, फरियादी अशोक को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें तथा उसने फरियादी अशोक को पत्थर मारकर अस्थिभंग कारित कर उसे घोर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 31 / 01 / 2015 की रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने स्थित ग्राम छीमका में, आरोपी भीम सिंह द्वारा फरियादी अशोक से गाली—गलौच करने एवं पत्थर से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अशोक द्वारा थाना गोहद चौराहा पर दिनांक : 01 / 02 / 2015 को की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में आरोपी भीम सिंह के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी का मेडीकल कराया गया। फरियादी अशोक की एक्स—रे रिपोर्ट में अस्थिभंग का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 28 / 15 अन्तर्गत धारा 504, 323, 325 भा.द. सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी अशोक सिंह एवं साक्षी रुकमणी के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त भीम सिंह के विरुद्ध धारा 504 एवं 325 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में उसके भाई/फरियादी शराब पीना एवं झगलाडू प्रवृत्ति का होना एवं जबरन दबाव बनाने के लिए झूठी रिपोर्ट किया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी भीम सिंह ने दिनांक :- 31/01/2015 की रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने स्थित ग्राम छीमका में, फरियादी अशोक को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी अशोक को पत्थर मारकर अस्थिभंग कारित कर उसे घोर स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी अशोक सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी भीम सिंह को जानता है, क्योंकि वह उसका भाई है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/06/2015 से लगभग चार-पॉच माह पूर्व की शाम 08 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका भाई उसे मादरचोद एवं बहनचोद की गाली दे रहा था और उससे जगह के लिए 10 हजार रुपये मांग रहा था और जब वह बाहर निकल के आया और उसने आरोपी से गाली देने के लिए मना किया तो आरोपी भीम सिंह ने उसके पत्थर मारे जो उसके दाहिने हाथ में सबसे छोटी उंगली के उपर लगा और बगल वाली उंगली में भी चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि फिर उसकी पत्नी रुकमणी देवी आ गई थी, जिन्होंने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, जिसका अदम् चैक प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. आहत अशोक सिंह अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/06/2015 से लगभग चार-पाँच माह पहले शाम आठ बजे की है, अर्थात् घटना माह जनवरी-फरवरी 2015 की है। जबकि उसकी पत्नी रुकमणी अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/01/2016 से लगभग एक वर्ष पूर्व की कार्तिक माह की शाम आठ बजे की है। कार्तिक माह सामान्य रूप से अक्टूबर या नवम्बर माह में पड़ता है। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 31/01/2015 की है। इस प्रकार घटना के माह के संबंध में आहत अशोक अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी रुकमणी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में अशोक अ.सा.01 का कहना है कि घटना रात्रि आठ बजे हुई थी और आरोपी ने उसे रिपोर्ट के लिए नहीं जाने दिया था। इसलिए उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दोपहर 02 बजे की थी। आहत अशोक द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि दिनांक : 31/01/2015 की घटना की रिपोर्ट, दिनांक : 01/02/2015 को दोपहर 02:20 बजे थाना गोहद चौराहा पर लेखबद्ध कराई गई है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आहत अशोक अ.सा.01 का कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह बात लिखा दी थी कि उसे आरोपी भीम सिंह ने रिपोर्ट करने से रोक दिया था, यदि उक्त बात प्र.पी.01 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें कहीं पर इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि आरोपी द्वारा फरियादी अशोक अ.सा.01 को रिपोर्ट करने से रोका गया था। इस प्रकार पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 विलम्ब से लेखबद्ध कराये जाने के कारण के संबंध में फरियादी अशोक अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अशोक अ.सा.01 का कहना है कि उसे घटना में दो चोटें आई थी, जो दोनों ही उसके हाथों में थी। आरोपी से उसे बहुत से पत्थर मारे थे, जिनमें से दो पत्थर उसे लगे थे। जिनमें से एक पत्थर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में तथा दूसरा पत्थर बाये हाथ की छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में लगा था, इसके अलावा उसके शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं थी। रुकमणी अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि आरोपी ने पत्थर से अशोक के सीधे हाथ की छोटी उंगली एवं उल्टे हाथ की छोटी उंगली में चोट पहुँचाई थी। जबकि आहत अशोक अ.सा.01 का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 का उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि उसने परीक्षण के दौरान आहत अशोक अ.सा.01 के दाहिने हाथ के पंजे में 05 गुणा 02 से.मी. के आकार कर मूंदी चोट पाई

थी, जो कि किसी सख्त एवं भौथुरी वस्तु से पहुँचाई गई थी, जिसके एक्स-रे परीक्षण की उनके द्वारा सलाह दी गई थी। एक्स-रे परीक्षण में उन्होंने आहत अशोक के दाहिने हाथ के अंगूठे में मेटाकारपल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। इस वावत् उनके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिनके ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत अशोक के दोनों हाथों में चोट नहीं थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि आहत की उंगलियों में कोई चोट नहीं थी। जबकि पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध करने वाले प्रधान आरक्षक गोप सिंह अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने आहत के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में ही चोट देखी थी, अन्य उंगलियों में कोई चोट नहीं देखी थी। इस प्रकार आहत अशोक अ.सा.01 के दोनों हाथों या उनकी उंगलियों में चोट थी, अथवा नहीं, इस वावत् अशोक अ.सा.01, रूकमणी अ.सा.02, डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 एवं गोप सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है। आहत अशोक की पत्नी रूकमणी अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि चोट लगने से उसके पति की छोटी उंगली में खून निकल आया था, जबकि स्वयं आहत अशोक अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसकी चोटों से खून निकला था। डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि आहत की चोट से खून नहीं निकल रहा था। इस प्रकार आहत अशोक की चोटों से खून निकला था, अथवा नहीं, इस वावत् आहत अशोक अ.सा.01, रूकमणी अ.सा.02 एवं डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. आहत अशोक का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों में पत्थर से चोट पहुँचाई थी, जबकि कथित रूप से घटना की एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी रूकमणी अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि आरोपी ने उसके पति अशोक के सिर में लाठी मारी, और पत्थर मारा जिससे अशोक के सीधे हाथ की छोटी उंगली एवं उल्टे हाथ की छोटी उंगली में खून निकल आया। अशोक अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि आरोपी भीम सिंह ने उसके सिर में लाठी मारी। इस प्रकार आरोपी भीम सिंह द्वारा आहत अशोक पर लाठी से प्रहार किया गया, अथवा नहीं, इस वावत् अशोक अ.सा.01 एवं रूकमणी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में अशोक अ.सा.01 का कहना है कि पुलिस ने घटना के दूसरे दिन घटनास्थल पर आकर उसका बयान लिया था और नक्शा-मौका प्र.पी.02 पुलिस ने उसका कथन लेने के बाद बनाया था। अर्थात् पुलिस द्वारा आहत अशोक का कथन लेने एवं नक्शा-मौका बनाने की कार्यवाही घटना के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक : 01/02/2015 को की गई थी, जबकि प्रकरण के विवेचक बिदुराज

सिंह अ.सा.04 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक : 13/02/2015 को थाना गोहद चौराहा में एएसआई के पद पर पदस्थ था और उसे उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 28/2015 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा दिनांक : 13/02/2015 को ही घटनास्थल पर जाकर फरियादी अशोक अ.सा.01 की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था और अशोक एवं रूकमणी के कथन लेखबद्ध किये थे। नक्शा-मौका प्र.पी.02 एवं अशोक अ.सा.01 के पुलिस कथन प्र.डी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त दोनों ही कार्यवाही दिनांक : 13/02/2015 को की गई है, ना कि घटना के दूसरे दिन दिनांक : 01/02/2015 को। इस प्रकार इस वावत् फरियादी अशोक अ.सा.01 एवं प्रकरण के विवेचक बिदुराज सिंह अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

14. फरियादी अशोक अ.सा.01 ने आरोपी भीम सिंह द्वारा उसे घटना के दौरान माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देने का तथ्य बताया है। जबकि घटना की कथित चक्षुदर्शी साक्षी रूकमणी अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी द्वारा गाली-गलौच करने का कोई तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार इस वावत् अशोक अ.सा.01 एवं रूकमणी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी भीम सिंह ने दिनांक : 31/01/2015 की रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने स्थित ग्राम छीमका में, फरियादी अशोक को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें तथा उसने फरियादी अशोक को पत्थर मारकर अस्थिभंग कारित कर उसे घोर स्वेच्छया उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

16. अभियोजन आरोपी भीम सिंह के विरुद्ध धारा 504 एवं 325 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 504 एवं 325 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

